

रजिस्ट्रेशन संख्या : COOP/2023/JAIPUR/206152

श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक सर्वजन हितकारी संस्था, जयपुर
“संगम” सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26, एन.आर.आई. सर्किल के पास प्रतापनगर, जयपुर

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र

- 1-छात्र/छात्रा का नाम----- **प्रार्थी का फोटो**
- 2-पिता/माता/संरक्षक का नाम-----
- 3-श्रेणी (1)विधवा का बच्चा (2) अनाथ बच्चा (किसी एक को टिक करें)-----
- 4-पूरा पता-----
----- (मोबाईल)-----
- 5-माता/पिता न होने की स्थिति में संरक्षक का नाम-----
- 6-अध्ययन कक्षा-----स्कूल/कालेज-----
- 7-छात्र के पिता/माता/संरक्षक की मासिक आय (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)-----
- 8-परिवार के वयस्क अगर कार्य कर रहे हो तो उनका विवरण-

क्र०सं०	नाम	संबंध	वार्षिक आय

9-परिवार के पढने वाले अन्य छात्र/छात्राये-

क्र०सं०	नाम	संबंध	कक्षा	स्कूल/कालेज

- 10-छात्र/छात्रा ने गत वर्ष किस स्कूल से अध्ययन किया था -----
- 11-गत परीक्षा का परिणाम (परीक्षा परिणाम की अंक तालिका संलग्न करना आवश्यक है)-----
- 12-क्या संस्था से गतसत्र में छात्रवृत्ति मिली यदि हाँ तो कितनी-----
- 13-संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र से भी क्या कोई सहायता मिल रही है। यदि हाँ तो कितनी और कहाँ से

- मेरे द्वारा नियम व शर्तें पूर्णरूप से पढकर समझ ली है तथा मैं इनकी पालना हेतु सहमत हूँ।

दिनांक

प्रार्थी,
हस्ताक्षर छात्र/छात्रा
नाम-----

प्रतिज्ञा पत्र

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वावलम्बी बनने पर न्यास से प्राप्त छात्रवृत्ति को अन्य छात्र/छात्राओंके लाभार्थ, शीघ्र से शीघ्र वापस लौटा देंगे।

हस्ताक्षर

1-छात्र/छात्रा

2-पिता/माता/संरक्षक

---निरन्तर

समाज की विधानान्तर्गत निर्वाचित प्रादेशिक/स्थानीय इकाई/राजसेवक परिषद पदाधिकारी/संस्था संचालन समिति सदस्य द्वारा

अभिशांसा

मैं-----पद-----प्रादेशिक/स्थानीय इकाई/राजसेवक परिषद पदाधिकारी/संस्था संचालन
समिति सदस्य-----तहसील-----जिला-----राज्य-----प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त
विवरण मेरे स्वज्ञान से सत्य है, तथा प्रार्थी-----सहायता की अधिकारी है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

पद-----पता-----मोबाईल नं.-----

नोट:-आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है-

- 1- आवेदन पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड (स्वयं/पिता/माता/संरक्षक का) एवं वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र बैंक पासबुक की फोटो प्रति।
- 2-आवेदक यदि अनाथ श्रेणी में हैं तो माता एवं पिता का अन्यथा पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 3-यह सहायता एक बार एक मुश्त दी जावेगी।
- 4-आवेदक/आश्रित का खाता एसबीआई बैंक में होना अनिवार्य है।**
- 5-यह सहायता अध्ययन कालावधि तक दी जावेगी।
- 6- प्रार्थी के स्वावलम्बी होते ही संस्था से प्राप्त आर्थिक सहयोग संस्था को वापस की जावेगी।